११

सर्व सम्मति से समारोह के आयोजन करने का निर्णय 15 फरवरी 2021 से पूर्व करवाने का लिया गया तथा सदस्यों की पूर्व में संभव हो से उपस्थिति करवायी जावें।

2. सदस्यता शुल्क एवं अन्य योगदान राशि हेतु बैंक में खाता खुलवाने का निर्णय लिया गया जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त साइन से हो।
3. महाविद्यालय कार्मिकों से सदस्यता शुल्क प्राप्त की जावें।
4. समारोह में 50,000 रुपये तक व्यय करने की अध्यक्ष एवं सचिव महोदय विशेष प्राधिकृत अनुमति प्रदान की।
5. वरिष्ठ सदस्यों के सम्मान हेतु सम्मानार्थ माला एवं अल्पाहार क्रय करवाया जावें।
6. आवश्यकतानुसार फ्लैक्स बनवाने का भी निर्णय लिया गया।
7. स्थायी समिति के सदस्यों को नियमानुसार उपस्थिति भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया जो केवल राजकीय कार्मिकों हेतु होगा।

समिति सदस्यों द्वारा रखे प्रस्तावों एवं निर्णयों को अनुमोदनार्थ श्रीमान को प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
सचिव प्रभारी-
पूर्व छात्र परिषद
रा० म० रा० बून्दी।

प्राचार्य
अनुमोदित
(हस्ताक्षर) 18/1/21

Mr. Dilip Rathore

दिनांक 29/02/20

सत्र 2019-20 की राजकीय महाविद्यालय, बून्दी की पूर्व छात्र परिषद समिति की एक आवश्यक बैठक दिनांक 29-02-2020 को अपरान्ह 4 बजे जन्तु विज्ञान विभाग में रखी गई। इस बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही! –

क्र.सं.	सदस्य नाम	हस्ताक्षर
1.	डॉ. सौभागमल मीणा	[signature]
2.	डॉ. जुबेर खान	[signature]
3.	डॉ. प्रतिभा किरण	[signature]
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	[signature]
5.	डॉ. भारतेन्दु गौतम	[signature]
6.	डॉ. आशीष श्रृंगी	[signature]
7.	सुश्री मेघा गुप्ता	मेघा गुप्ता
8.	श्री धर्मवीर मीणा (आमंत्रित सदस्य)	[signature]
9.	श्री रामदेव मीणा	[signature]
10.		

इस बैठक में लिये गये ~~निर्णय~~ प्रस्ताव निम्न है।

1. विकास समिति से बजट का आवंटन लगभग 1 लाख या आवश्यकता अनुसार करवाकर पूर्व छात्रों को आमंत्रित किया जावे। आमंत्रित सदस्यों को सम्मानित कर (प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ) इच्छानुसार स्थायी शुल्क लेकर स्थायी समिति का गठन किया जावे।

2. आमंत्रित सदस्यों से निर्धारित प्रपत्र में पुनः पंजीकरण करवाई जावे। इच्छानुसार व नियमानुसार स्थाई सदस्य से 500/- तथा अस्थाई सदस्यों से 50/- उक्त राशि नियमानुसार कम है। अतः समिति सदस्य अस्थाई सदस्यता

से बढ़ाकर २००/- रु. करने की सर्वसम्मति
समिति अनुशंसा करती है।

विद्यालय द्वारा गठित सम्पूर्ण छात्र परिषद की समिति की
एक सत्र के दौरान कम से कम दो बार होनी ही
चाहिए तथा उक्त बैठक राष्ट्रीय दिवस 7 दिन पूर्व व
7 दिन बाद तक होनी चाहिए।

मेघा गुप्ता

समिति सदस्यों द्वारा लिए गये
प्रस्तावों को अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

(डॉ० सौभाग्य मल मीणा)
प्रभारी सचिव
पूर्व छात्र परिषद

प्राचार्य
अनुमोदित
29.2.20

lip Rathore

दिनांक 18/1/2

महाविद्यालय की पूर्व छात्र परिषद् समिति की बैठक आज दिनांक 18/1/2021 को पुस्तकालय भवन में प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में 1.30 बजे बैठक आहूत की गयी जिसमे समिति के निम्न लिखित सदस्य उपस्थित होकर कार्यसूची के अनुसार बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मुद्दे भी रखे गये जिन पर सर्व सम्मति से निर्णय लिये गये।

1. डॉ० पी० के० सालोदिया - अध्यक्ष प्राचार्य
2. डॉ० एन० के० जैतवाल समन्वयक
3. डॉ० सौभाग्यमल मीणा - प्रभारी सचिव
4. डॉ० दिनेश कुमार वर्मा
5. डॉ० प्रतिमा किरण
6. डॉ० कुबेर स्वामी
7. श्री सुनिल मीणा
8 सुश्री मेघा गुप्ता — मेघा गुप्ता
9. डॉ० ओ० पी० शर्मा
10. डॉ० आशीष श्रृंगी
11. डॉ० भारतेन्दु गौतम
12. डॉ० राम देव मीणा
13. श्री रामस्वरूप मीणा
14. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
15. डॉ० राजेश चौहान
16. श्री पी० डी० शर्मा AAO
17. श्री धर्मवीर मीणा

महाकवि सूर्यमल्ल पूर्व छात्र परिषद् राज. महा.समिति, बून्दी
विधान नियमावली

1. समिति का नाम : इस संस्था का नाम 'महाकवि सूर्यमल्ल पूर्वछात्र परिषद् राज.महा. समिति, बून्दी' है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय राजकीय महाविद्यालय,बून्दी है तथा कार्यक्षेत्र बून्दी शहर तक सीमित रहेगा।

3. समिति के उद्देश्य :

(i) महाविद्यालय के विकास हेतु विचार कर योजनाओं का निर्माण करना व उनको संरक्षक के माध्यम से राजकीय महाविद्यालय, बून्दी को प्रेषित करना।

(ii) महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं विद्यार्थियों के उत्साहवर्द्धन हेतु महाविद्यालय में पुरस्कार, पदक एवं अन्य सम्मान सूचक प्रतीक चिन्ह वितरित करवाना।

(iii) महाविद्यालय में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य उत्थान के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करवाना।

(iv) उच्चशिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढाने हेतु प्रयास करना।

(v) पूर्व छात्र जिन्होंने सामाजिक जीवन में या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है उनका सम्मान करना।

(vi) वरिष्ठ पूर्व छात्रों को महाविद्यालय में आमंत्रित कर सम्मान करना।

(vii) पूर्व छात्रों, नागरिकों व अन्य दानदाताओं से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता या विकास कार्य करवाने की स्वीकृति प्राप्त करना।

(viii) महाविद्यालय में पूर्व छात्रों की सामाजिक गतिविधियां आयोजित करना जिसमे स्नेहमिलन, सम्मान समारोह, विचार गोष्ठी, प्रसार–भाषण, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम, अन्य सम्बन्धित विषय सम्मिलित होंगे। इन गतिविधियों को आयोजित करने में विशिष्ट प्रतिभावों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

(ix) महाविद्यालय की विकास समिति से समय–समय पर विचार विमर्श कर महाविद्यालय के विकास कार्यों में सामन्वय स्थापित करना।

(x) विद्यार्थियों के रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों पर विचार कर उनको महाविद्यालय में लागू करवाने में सहयोग प्रदान करना।

(xi) सामाजिक एवं बौद्धिक विकास हेतु संस्था की और से पत्र / पत्रिका / पुस्तक / साहित्य का निःशुल्क प्रकाशन करना।

(xii) स्थानीय उद्योगों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विद्यार्थी हित में रोजगार एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने हेतु प्रयास करना।

(xiii) महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संस्कारवान, निष्ठावान, चरित्रवान एवं उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत करने हेतु प्रयास करना।

(xiv) संस्था की समस्त गतिविधियो की जानकारी देने हेतु ईन्टरनेट वेब साईट बनाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है। (हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर) (अध्यक्ष) (हस्ताक्षर) (सचिव) (हस्ताक्षर) (कोषाध्यक्ष)

4. सदस्यता :

इस संस्था मे निम्नानुसार सदस्य होंगे :

संस्था की सदस्यता प्राप्ति हेतु प्रत्येक ऐसा छात्र जिसने राजकीय महाविद्यालय, बून्दी से पी.यू.सी., इन्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर, एल.एल.बी. या अन्य डिग्री या डिप्लोमा का अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं महाविद्यालय छोड़े 5 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, सदस्य बन सकता है।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत किये जा सकेंगे :

1. संरक्षक
2. सम्मानित सदस्य
3. साधारण सदस्य

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क एवं चन्दा :

उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :

1. संरक्षक – निशुल्क
2. सम्मानित सदस्य – निशुल्क
3. साधारण सदस्य – 500 रू आजीवन

राजकीय महाविद्यालय, बून्दी के प्राचार्य इस संस्था के पदेन संरक्षक रहेंगे तथा साधारण सदस्य बनने हेतु 50 रूपये प्रवेश शुल्क देना होगा।

7. संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :

1. मृत्यू हो जाने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. पागल, दिवालिया हो जाने पर
4. सदस्य द्वारा पुनः इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर
5. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
6. प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

1. प्रबन्धकार्यकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकार्यकारिणी द्वारा दिये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान मे संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्तन करना। (रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठक :

1. साधारण सभा की वर्ष मे एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी विशेष सभा भी बुलाई जा सकेगी।

2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य का 1/3 होगा।

3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व में अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः सात दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक के कोरम क़ी कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

5. संस्था के कुल 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में आवेदन करने पर सचिव /अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर –अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के सदस्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रवन्धकार्यकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :

1. अध्यक्ष–एक
2. उपाध्यक्ष–एक
3. सचिव–एक
4. कोषाध्यक्ष–एक
5. सदस्य–आठ

इस प्रकार प्रबन्धकार्यकारिणी में चार पदाधिकारी व आठ सदस्य कुल बारह सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :

1. संस्था की प्रबन्धकार्यकरिणी के चार पदाधिकारी–अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव साधारण सभा द्वारा किया जावेगा तथा आठ सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। उक्त आठ सदस्यों में से कार्यकारिणी द्वारा एक सहसचिव मनोनीत किया जायेगा। उक्त कार्यकरिणी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
2. पदाधिकारियों का चुनाव साधारण बहुमत से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करवाया जायेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

1. सदस्यों को संस्था से निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन, भत्तों का निर्धारण करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. संस्था के तीन संरक्षक में से दो संरक्षको को साधारण सदस्यों में से मनोनीत करना। मुख्य संरक्षक पदेन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी होंगे।
8. संस्था की बैठकों में सचिव व अध्यक्ष के परामर्श से आवश्यकतानुसार विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।
9. कार्यकारिणी सदस्य व अन्य पदाधिकारयों का स्थान आकस्मिक रिक्त हाने पर उन पदों पर आगामी निर्वाचन होने तक के लिए मनोनीत किया जा सकेगा।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/ सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा आवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियां की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :

1. <u>अध्यक्ष</u>
    1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
    2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
    3. बैठकें आहुत करना।
    4. संविदा एवं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
    5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
    6. अन्य
2. <u>उपाध्यक्ष</u>
    1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
    2. प्रबन्धकार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
3. <u>सचिव</u>
    1. बैठकें आहुत करना।
    2. कार्यवाही लिखना तथ रिकार्ड रखना।
    3. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
    4. वेतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
    5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
    6. पत्र व्यवहार करना।
    7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हों।
4. <u>कोषाध्यक्ष</u>
    1. वार्षिक लेखों–जोखों को तैयार करना।
    2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण करना।
    3. चन्दा/शुल्क/अनुदान/सहायता आदि प्राप्त कर रसीद देना।
    4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।
5. <u>सह सचिव</u>
    1. सचिव की अनुपरिथति में सचिव के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
    2. प्रबन्धकार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1. चन्दा   2. शुल्क
3. अनुदान   4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/ सहकारी बैंक में सुरक्षित की जावेगी।
2. अध्यक्ष/ सचिव में से किसी एक के तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन सम्भव हो सकेगा। कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

(अध्यक्ष)

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित मे तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1. अध्यक्ष – 10000 रूपये
2. सचिव – 5000 रूपये
3. कोषाध्यक्ष – 5000 रूपये

उपरोक्तानुसार राशि का अनुमोदन प्रबन्धकार्यकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान मे परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संषोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनूरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनूरूप होगी।

21. संस्था के लेखों जोखों का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं बून्दी को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान नियमावली महाकवि सुर्यमल्ल पूर्व छात्र परिषद राजकीय महाविद्यालय समिति, बून्दी की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 39/बून्दी/2006-07
2. संस्था का नाम महाकवि सूर्यमल्ल पूर्व छात्र परिषद राजकीय महाविद्यालय समिति
3. किस्म दस्तावेज (संघ विधान के पत्र एवं विधान नियमावली)
4. दस्तावेज की संख्या 8 पृष्ठ
5. दिनांक पंजीयन 17-1-07
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

राजस्थान - सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 39/बून्दी/2006-07

यह प्रमाणित किया जाता है कि महाकवि सूर्यमल्ल पूर्व छात्र परिषद राजकीय महाविद्यालय समिति बून्दी

जिला बून्दी का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 17 माह जनवरी सन् 2007

को बून्दी में दिया गया ।

17/1/07

रजिस्ट्रार
संस्थाऐ बून्दी जिला, बून्दी
(राज.)

रजिस्ट्रार
संस्थाएं, बून्दी जिला बून्दी
(राज.)

Dr. Dilip Rathore

दिनांक 29/02/20

सत्र 2019-20 की राजकीय महाविद्यालय, बून्दी की पूर्व छात्र परिषद समिति की एक आवश्यक बैठक दिनांक 29-02-2020 को अपराह्न 1 बजे जन्तु विज्ञान विभाग में रखी गई। इस बैठक में सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार रही! –

क्र.सं.	सदस्य नाम	हस्ताक्षर
1.	डॉ॰ सौभागमल मीणा	[signature]
2.	डा॰ जुबेर खान	[signature]
3.	डा. प्रतिभा किरण	[signature]
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	[signature]
5.	डा॰ भारतेन्दु गौतम	[signature]
6.	डॉ॰ आशीष शृंगी	[signature]
7.	सुश्री मेघा गुप्ता	मेघा गुप्ता
8.	श्री धर्मवीर मीणा (आमंत्रित सदस्य)	[signature]
9.	श्री रामदेव मीणा	[signature]
10.		

इस बैठक में लिये गये ~~निर्णय~~ प्रस्ताव निम्न है।

1. विकास समिति से बजट का आवंटन लगभग 1 लाख या आवश्यकता अनुसार करवाकर पूर्व छात्रो को आमंत्रित किया जावे। आमन्त्रित सदस्यों को सम्मानित कर (प्रमाण पत्र एव स्मृति चिन्ह के साथ) इच्छानुसार स्थायी शुल्क लेकर स्थायी समिति का गठन किया जावे।

2. आमन्त्रित सदस्यों से निर्धारित प्रपत्र में पुनः भरवाई जावे। इच्छानुसार व नियमानुसार स्थाई सदस्य से 500/- तथा अस्थाई सदस्यो से 50/- उक्त राशि नियमानुसार कम है। अतः समिति सदस्य अस्थाई सदस्यता

से बढ़ाकर 200/- रू. करने की सर्वसम्मति
समिति अनुशंसा करती है।

विद्यालय द्वारा गठित सम्पूर्ण छात्र परिषद की समिति की
एक सत्र के दौरान कम से कम दो बार होनी ही
चाहिए तथा उक्त बैठक राष्ट्रीय दिवस 7 दिन पूर्व व
7 दिन बाद तक होनी चाहिए।

मेघा गुप्ता

समिति सदस्यों द्वारा लिए गये
प्रस्तावों को अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

प्राचार्य
अनुमोदित
29.2.20

(डॉ० सौभाग्यमल मीणा)
प्रभारी सचिव
पूर्व छात्र परिषद

...lip Rathore

दिनांक 18/1/2...

महाविद्यालय की पूर्व छात्र परिषद्
समिति की बैठक आज दिनांक 18/1/2021
पुस्तकालय भवन में प्राचार्य महोदय
की अध्यक्षता में 1.30 बजे बैठक आहूत
की जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य
उपस्थित होकर कार्यसूची के अनुसार विषय
पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा अध्यक्ष
महोदय की अनुमति से अन्य मुद्दे भी रखे
गये जिन पर सर्व सम्मति से निर्णय लिये
गये।

1. डॉ० पी० के० स्वामी [illegible] - अध्यक्ष प्राचार्य
2. डॉ० एन० के० जैसवाल समन्वयक
3. डॉ० सौभाग्यमल मीणा - प्रभारी सचिव
4. डॉ० दिनेश कुमार वर्मा
5. डॉ० प्रतिभा किरण
6. डॉ० कुबेर स्वामी
7. श्री सुनिल मीणा
8. सुश्री मेघा गुप्ता — मेघा गुप्ता
9. डॉ० ओ० पी० शर्मा
10. डॉ० आशीष कुंजी
11. डॉ० भारतेन्दु गौतम
12. डॉ० राम देव मीणा
13. श्री रामस्वरूप मीणा
14. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
15. डॉ० राजेश चौहान
16. श्री पी० डी० शर्मा AAO
17. श्री धर्मवीर मीना

सर्व सम्मति से समारोह के आयोजन करने का निर्णय 15 फरवरी 2021 से पूर्व करवाने का लिया गया तथा सदस्यों की पूर्व में संभव हो से उपस्थित करवायी जावें।

2. सहायता शुल्क एवं अन्य योगदान राशि हेतु बैंक में खाता खुलवाने का निर्णय लिया गया जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त साइन से हो।

3. महाविद्यालय कार्मिकों से सहायता शुल्क प्राप्त की जावें।

4. समारोह में 50,000 रुपये तक व्यय करने की अध्यक्ष एवं सचिव महोदय विकास समिति द्वारा अनुमति प्रदान की।

5. कार्य सदस्यों के सम्मान हेतु सम्मानितार्थ माला एवं अल्पाहार [illegible] जावें।

6. आवश्यकतानुसार फ्लैक्स बनवाने का भी निर्णय लिया गया।

7. स्थायी समिति के सदस्यों को नियमानुसार उपस्थिति प्रमाण देने का भी निर्णय लिया गया जो केवल राजकीय कार्य की [illegible] होगें।

समिति सदस्यों द्वारा रखे प्रस्तावों एवं निर्णयों को अनुमोदनार्थ श्रीमान को प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)

समिति प्रभारी-
पूर्व छात्र परिषद
रा० म०वि० कुन्दी

प्राचार्य
अनुमोदित
(हस्ताक्षर) 18/1/21

दिनांक 11/11/14

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय ... पूर्व छात्र परिषद समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/11/14 को मानविकी विभाग में 11.30 बजे बैठक आहूत की जायेगी, जिसका मुख्य एजेण्डा प्रबन्धन समिति का गठन एवं बैठक में रखना सम्मिलित होगा।

(हस्ताक्षर)
प्राचार्य

(हस्ताक्षर)
प्रभारी

दिनांक 12/11/14

आज दिनांक 12/11/14 को प्राचार्य महोदय [illegible] के [illegible] में पूर्व छात्र परिषद समिति की बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे तथा महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गयी एवं प्रबन्धन समिति गठन करने की संस्तुति की गयी।

1. डॉ. पूर्णिमा [illegible] (प्रभारी) (हस्ताक्षर)
2. डॉ. [illegible] नेगी (हस्ताक्षर)
3. डॉ. ओ.पी. [illegible] (हस्ताक्षर)
4. डॉ. [illegible] (हस्ताक्षर)
5. श्री [illegible] (हस्ताक्षर)
6. श्री [illegible] नेगी (हस्ताक्षर)

अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है कि अनुमोदन किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
प्राचार्य 12/11/14

प्रभारी (हस्ताक्षर)

प्रबन्धन समिति का गठन

1. डॉ. [illegible] — [illegible] एवं प्राचार्य
2. डॉ. [illegible] — [illegible] एवं सह आचार्य
3. डॉ. [illegible] — [illegible] एवं सह आचार्य
4. डॉ. पूर्णिमा [illegible] — [illegible] एवं सह आचार्य
5. डॉ. [illegible] — [illegible] एवं सहा. आचार्य
6. श्री [illegible] — [illegible] एवं सहा. आचार्य
7. डॉ. ओ.पी. [illegible] — [illegible] एवं सह आचार्य
8. डॉ. [illegible] नेगी — — —
9. डॉ. [illegible] — — —
10. डॉ. [illegible] नेगी
11. [illegible] — कोषाध्यक्ष मनोनीत
12. [illegible] — सह सचिव

(हस्ताक्षर)

11. श्रीमती महिमा शर्मा — कार्यकारिणी सदस्य एवं सह-आचार्य

12. डॉ. ममता किरण — ,,

13. डॉ. मुकेश मीणा — ,,

14. श्री विकास राठौर — ,,

सचिव
(डॉ. पूर्णिमा दीक्षित)

अध्यक्ष एवं प्राचार्य
पदेन संरक्षक एवं अध्यक्ष

Scanned with CamScanner

सूचना

दिनांक 25/11/21

पूर्व छात्र परिषद समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 26/11/21 को प्राचार्य कक्ष मे समय 12:15 pm पर आवश्यक बैठक आयोजित की जा रही है जिसका एजेन्डा :

(I) उपरोक्त परिषद का बैंक में खाता खुलवाने की कारवाही करना

(II) इस परिषद मे भूतपूर्व छात्रों को जोडना व सदस्यता शुल्क विषय की चर्चा।

(signature)
प्राचार्य

(signature)
प्रभारी

दिनांक 26.11.21

आज दिनांक 26.11.2021 को दोपहर 12.30 बजे प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य [illegible]-I की अध्यक्षता में पूर्व छात्र परिषद समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की गयी जिसमें सर्व सम्मति से निम्न निर्णय लिये गये तथा बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित रहें।

1. डॉ. सतीश सारस्वत प्राचार्य एवं संरक्षक (signature)
2. डॉ. प्रतिभा दीक्षित (signature)
3. डॉ. सौरभ भटनागर (signature)
4. डॉ. प्रतिभा मिश्रा (signature)
5. डॉ. ओ. पी. शर्मा (signature)
6. डॉ. भारतेन्दु गौतम (signature)
7. सुश्री मेघा गुप्ता मेघा
8. डॉ. राजेन्द्र कुमार मीणा
9. श्री विकास राठौड़ (signature)
10. डॉ. संदीप यादव (signature)
11. डॉ. महिमा शर्मा (signature)
12. डॉ. जुबैर खान (signature)

Scanned with CamScanner

1. संस्था का PAN card बनवाने (सर्व सम्मति से) का निर्णय लिया गया
2. बैंक का खाता अध्यक्ष एवं सचिव व कोषाध्यक्ष मे से 2 हस्ताक्षर संचालित होगा। करने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से
3. नए विद्यालय को खोलने के 10 वर्ष बाद ही परिषद का सदस्य (स्थायी/अस्थायी) बनाने का निर्णय लिया गया। एवं पदाधिकारी
4. सदस्यता शुल्क स्थायी 5000/- रुपये (की सहमति जनकी होगी) से 500/= अस्थायी लेने का निर्णय (सर्वसम्मति) लिया गया।
5. सदस्यता शुल्क रसीद छपवाने का निर्णय लिया गया।
6. सेन्ट्रल बैंक इण्डिया - शाखा में संस्था का खाता खुलवाने का निर्णय लिया गया।

7.

1 [signature] 2 [signature] 3 [signature]

4. [signature] 5 [signature] 6 [signature]

7 [signature] 8 [signature] 9

10 11 मेघा 12 [signature]

13 14

[signature] 24/11/21
सचिव

[signature]
अध्यक्ष

दिनांक 18/1/22

आज दिनांक 18/1/22 को प्राचार्य कक्ष में IQAC समिति की बैठक में इन्चार्ज समिति सचिव व कोषाध्यक्ष व अध्यक्ष उपस्थित रहे जिसमें बैंक खाता खुलवाने बाबत फार्म, आधार कार्ड, PAN card, फोटो इत्यादि लेकर फार्म तैयार किया गया।

. दिनांक 27/1/22

दिनांक 27/1/22 को प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ने बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बहादुरसिंह सर्किल, बून्दी में हस्ताक्षर कर खाता खुलवाया। खाते में Rs 5000/ जमा करवाये गये जो पूर्व में पूर्व छात्र परिषद समिति द्वारा प्रदिये गए थे।

(signature)
28/1/22

सूचना दिनांक- 22/03/2022

महाकवि सूर्यमल पूर्व छात्र परिषद समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 23/03/2022 को दोपहर 2 बजे रसायन शास्त्र विभाग में आयोजित की जा रही है जिसका एजेंडा

(1) भूतपूर्व छात्रों को जोड़ना एवं सदस्यता शुल्क प्राप्त करना

[illegible]
प्राचार्य

[illegible]
23/03/22
प्रभारी

<u>मीटिंग</u> दिनांक 23/03/2022

आज दिनांक 23/03/2022 बुधवार को रसायन शास्त्र विभाग में प्राचार्य की अध्यक्षता में महाकवि सूर्यमल पूर्व छात्र परिषद समिति ~~की~~ एक आवश्यक बैठक रखी गई जिसमें निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया।

(1) सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति हुई कि नवीन प्रवेशित सभी विद्यार्थियों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) प्रथम वर्ष से 50 रु./अक्षरे पचास रुपये एल्युमिनिमाई एसोसियशन के लिए जाए। एवं शोधार्थियों से 100 रु./सौ रुपये एल्युमिनाई एसोसियशन के लिए जायेंगे।

(2) एल्युमिनाई सदस्यता प्रदान करने हेतु निर्णय लेने के लिए एल्युमिनाई एसोसियशन का संरक्षक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

(3) एल्युमिनाई एसोसियशन का बचत खाता महाकवि सूर्यमल पूर्व छात्र परिषद के नाम से B.R.K.G. Bank बहादुर सिंह सर्किल शाखा में खोला जा चुका है। इसकी सूचना सचिव महोदय द्वारा मीटिंग में की गई।

[illegible]
23.3.22

[illegible]
प्रभारी
23/3/22

उपस्थित सदस्यगण

(1) [illegible]	(8) मेघा
(2) [illegible]	(9) [illegible]
(3) [illegible]	(10) [illegible]
(4) [illegible]	(11) [illegible]
(5) [illegible]	(12) सुनील
(6) [illegible]	(13) [illegible]
(7) [illegible]	(14) [illegible]
	15 [illegible] (रामदेव मीणा)

Scanned with CamScanner

बैठक दिनांक 24/05/22

आज दिनांक 24/05/22 मंगलवार को स्नातकोत्तर विभाग में, प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में महाविद्यालय पुस्तकालय एवं ग्रन्थ परिषद समिति की बैठक रखी गई। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर समिति सदस्यों द्वारा चर्चा की गई और निर्णय लिए गए —

1. दिनांक 28/11/21 की बैठक में कार्यवाही की लिए गए निर्णय के अनुसार अनुमानित आवश्यकता के लिए निर्धारित आवश्यकतानुसार नई पुस्तक जोड़ी जाए।
2. महाविद्यालय के पुस्तकालय सहायक / सह आचार्यों, जो महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं, की सूची तैयार की जाए।
3. दिनांक 27/03/22 की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार नये विद्यार्थी (प्रवेशित कक्षा - स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष) की महाविद्यालय शुल्क में 50 रु प्रति विद्यार्थी शामिल किए जाने का संशोधित प्रस्ताव प्राचार्य महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(हस्ताक्षर) 24/05/22
प्रभारी

प्राचार्य

1. (हस्ताक्षर) (निशा राठौर)
2. (हस्ताक्षर) (Dinesh K.V.)